DR Krishnadeo kumar bharti
Assistant professor (G.T)
Dept of Political science
C.M.j College Donwarihat
Khutauna, Madhubani
Email----Kdkbharti08@gmail.com
B.A Part--3- Date---11-07--2020
Mo.No--923499961.

हॉब्स के समाजिक समझौते के सिद्धन्त आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।*(Critically examine Hobbes's theory of social contract.)*

थॉमस हॉब्स इंग्लैण्ड का एक महान राजनीतिक विचारक था।इन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धन्त के आधार पर एक नये निरंकुश, शक्तिशाली और अनुत्तरदायी राजतंत्र के सिद्धन्त का प्रतिपादन किया।ऐसा कर उन्होंने गृह युद्ध की गंभीर स्थिति में मानव जीवन के अस्तित्व को कायम रखने के लिए सम्प्रभु को ओजस्वी शक्ति प्रदान करने की वकालत की।

हॉब्स यह मानते थे कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य नरकीय जीवन व्यतीत करता था क्योंकि प्राकृतिक अवस्था अनवरत संघर्ष की अवस्था थी।उस अवस्था में हर मनुष्य का लक्ष्य एक ही था और वह था---जिसको चाहो मार दो, जिससे चाहो छीन लो ।*(To kill whom you can and to take what you can.)* ऐसी अवस्था में किसी भी व्यक्ति का जीवन शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहना नहीं था।हर मनुष्य ऐसे वातावरण में ऊब चुका था क्योंकि हर व्यक्ति शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहना चहता था।लेकिन वह अकेले होने के कारण ऐसा करने में समर्थ नहीं था। मनुष्य प्राकृतिक कानून के अनुसार शांतिपूर्ण रह सकता है लेकिन इसके लिए उसे अपने अधिकार को त्यागना था और समझौते के आधार पर एक समान्य शक्ति को अपनी स्वतंत्रता सौपनी थी।

हॉब्स ने यह बतलाया कि मनुष्य को शांति सुरक्षा के लिए एक ऐसी शक्तिशाली सत्ता की आवश्यकता थीं जो इन सबों के आधार पर मनुष्य का जीवन शांतिपूर्ण और सुरक्षित बना सके और ऐसी अवस्था ही हो सकती है। मनुष्यों ने अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा का प्रभुत्व स्थापित हो जो प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करने में समर्थ हो और इसी आधार पर सभी व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अपने समस्त अधिकारों और शक्ति को एक व्यक्ति या मनुष्यों के एक समूह को प्रदान किया।इसे ही हॉब्स ने प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता या अनुबंध कहकर पुकारा।हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ने यह शपथ ली कि "मैं अपने समस्त अधिकार और अपने पर शासन करने का अधिकार त्याग कर इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को सौपता हूँ।इस शर्त पर कि वह भी अपने अधिकार इसी प्रकार इस व्यक्ति को देगा और स्वशासन का अधिकार छोड़ देगा।"

इस प्रकार हॉब्स ने इस समझौता के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की भी व्यवस्था की है--

1. पहली व्यवस्था यह है कि अब तक हॉब्स से पहले समझौते के सम्बन्ध मे जितने भी विचार आये थे वह शासक और शासित, राजा और प्रजा के बीच किए गए समझौते के सम्बन्ध मे था।
2. इस समझौते की दूसरी यह विशेषता यह है कि लेबियाथन समझौते के ऊपर है।उस पर समझौते का कोई शर्त लागू नहीं की जा सकती।वह स्वतंत्र एवं स्वेच्छा पूर्वक कार्य करता है।
3. तीसरी विशेषता यह है कि समझौता का मूल लक्ष्य आंतरिक शांति और वाह्य शत्रुओं से रक्षा करना है।
4. चौथी विशेषता यह है कि एक बार समझौता हो जाने पर यह समझौता तोडा नहीं जा सकता है।

आलोचनाएँ----हॉब्स के समाजिक समझौता सिद्धन्त की कटु आलोचना भी हुई है।हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धन्त के सम्बन्ध मे रुसो का कहना था कि जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का त्याग करता है वह मनुष्य को छोड़ देता है।अतः इस तरह के समझौते के अनुसार मनुष्य का पूरा जीवन अर्थ हीन और बेकार है।अतः समाजिक समझौता का सिद्धन्त मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास का विरोधी सिद्धन्त है।

कानूनी दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो हॉब्स का समझौता सिद्धन्त तर्कहीन और गलत है।समझौता स्वेच्छा से किया जाता है और उसका पालन दोनों पक्षों के सर्मथन के आधार पर होता है।साथ ही साथ जिस उद्देश्य को लेकर समझौता किया जाता है उस उद्देश्य के पूर्ण हो जाने के बाद उसे तोडा भी जा सकता है।लेकिन हॉब्स ने जिस समझौता का उल्लेख किया है वह कभी भी तोडा नहीं जा सकता।व्यक्ति को हर हालत मे जीवन भर उसके अनुकूल आचरण करना पड़ता है।कानूनी दृष्टिकोण से उनका यह विचार आपत्तिजनक माना जाता है।

आगे, धन्यवाद।

2020-07-11
From vivo Note

Scanned with CamScanner